न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 01/2007

प्रार्थी

सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री हंसाराम पुत्र श्री आम्बाजी जाति गरासिया निवासी बहादुरपुरा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 4 पी.डी.आर. एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री जिला रसद अधिकारी सिरोही।
2. श्री राजेन्द्र सुराणा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनांक 03.06.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जिला रसद अधिकारी सिरोही की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध S.G.R.Y.(S.C.) तथा अनुग्रह सहायता में 4858.83 क्विंटल एवं S.G.R.Y.(Regular) के अन्तर्गत 443.55 क्विंटल गेहूं खुर्द–बुर्द किया। इस प्रकार कुल 5302.38 क्विंटल गेहूं के गबन की राशि रूपये 24,39,095/– अक्षरे चौबीस लाख उनचालीस हजार पिच्यान्वे हजार रूपये की वसूली हेतु पी.डी.आर. एक्ट के तहत यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गंया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सुराणा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस [illegible] गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी श्री हंसाराम पुत्र श्री आम्बाजी [illegible] निवासी बहादुरपुरा को उचित मूल्य विक्रेता बहादुरपुरा के रूप में नि[illegible] किया था। उसे अकाल [illegible] संवत 2059 में अभाव की स्थिति के दौरान जिले में खोले गए अकाल राहत कार्यों परनियोजित श्रमिकों को मजदूरी का आंशिक भुगतान गेहूं के रूप में किया जाने तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:09:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अनुग्रह सहायता एवं S.G.R.Y.(Regular) के अन्तर्गत मजदूरी का आंशिक भुगतान गेहूं के रूप में किया जाने हेतु जिला रसद कार्यालय के अधिनस्थ प्राधिकार पत्र के तहतउचित मूल्य विक्रेता बहादुरपुरा के रूप में अप्रार्थी की नियुक्ति होने से थोक–विक्रेता के माध्यम से गेहूं का आवंटन किया जाता था। जिसमें अप्रार्थी द्वारा जिला रसद कार्यालय के प्राधिकार की शर्तों का उल्लघंन करते हुए उक्त योजनाओं के 5302.83 क्विंटल गेहूं का गबन किया है जिसकी प्रवर्तन निरीक्षक, आबूरोड द्वारा पुलिस थाना, आबूरोड में एफ.आई.आर. संख्या 28/2004 दिनांक 04.02.2004 को दर्ज करवाई गई एवं गबन राशि की वसूली हेतु यह प्रकरण इस न्यायालय में पी.डी.आर. एक्ट की धारा 4 के तहत पेश किया है।

अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सुराणा द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा गेहूं का कोई गबन नहीं किया है जितना गेहूं उसे वितरण करने के लिए दिया गया था उसी के अनुपात में अकाल राहत के मजदूरों को कूपनों के आधार पर वितरित कर दिया गया एवं जिन व्यक्तियों को गेहूं दिया उनके कूपन जिला रसद अधिकारी सिरोही ने जमा नहीं किए। अप्रार्थी अनपढ गरासिया जाति का है। अप्रार्थी द्वारा श्रमिकों को गेहूं कूपन के अनुसार दिए गए एवं कूपन जिला रसद अधिकारी सिरोही के द्वारा नहीं लेने से उसके कच्चे झोंपडें में रखे थे जो झोपडें में आग लगने से झोंपडे सहित जल गए थे जिसकी सूचना पुलिस थाना आबूरोड सदर जिला सिरोही में दी गई जिन्होंने भी माना था कि आग लगी है और झोंपडे सहित रूपये व कूपन जलकर नष्ट हो गए है। अप्रार्थी के विरूद्ध गबन बाबत् मुकदमा धारा 409 के तहत पुलिस थाने में दर्ज करवाया गया जिसका निर्णय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूरोड की अदालत में हुआ जिसमें अप्रार्थी को बरी किया है एवं गबन होना नहीं माना है। अप्रार्थी दोषमुक्त हो गया है तो उनके विरूद्ध रिकवरी नहीं की जा सकती है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत S,B. Criminal Misc. Petition No. 74/96, Date 08.04.1996 M/s. Sandeep Industries Vs. State of Rajasthan पेश किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अप्रार्थी श्री हसाराम पुत्र श्री आम्बाजी जाति गरासिया निवासी बहादुरपुरा को अकाल राहत संवत 2059 में अभाव की स्थिति के दौरान जिले में खोले गए अकाल राहत कार्यों पर नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का आंशिक भुगतान गेहूं के रूप में किया जाने तथा अनुग्रह सहायता एवं S.G.R.Y.(Regular) के अन्तर्गत मजदूरी का आंशिक भुगतान गेहूं के रूप में किया जाने हेतु जिला रसद कार्यालय के अधिनस्थ प्राधिकार पत्र के तहत उचित मूल्य विक्रेता बहादुरपुरा के रूप में अप्रार्थी की नियुक्ति होने से थोक–विक्रेता के माध्यम से गेहूं का आवंटन किया जाता था। जिसमें अप्रार्थी द्वारा जिला रसद कार्यालय के प्राधिकार की शर्तों का उल्लघंन करते हुए उक्त योजनाओं के 5302.83 क्विंटल गेहूं का गबन किया है जिसकी प्रवर्तन निरीक्षक, आबूरोड द्वारा पुलिस थाना, आबूरोड में एफ.आई.आर. संख्या 28/2004 दिनांक 04.02.2004 को दर्ज करवाई गई। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा श्रमिकों को गेहूं कूपन के अनुसार दिए गए एवं कूपन जिला रसद अधिकारी सिरोही के द्वारा नहीं लेने से उसके कच्चे झोंपडें में

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 16:09:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रखे थे जो झोपडें में आग लगने से झोंपडे सहित जल गए थे जिसकी सूचना पुलिस थाना आबूरोड सदर जिला सिरोही में दी गई जिन्होंने भी माना था कि आग लगी है और झोंपडे सहित रूपये व कूपन जलकर नष्ट हो गए है। अप्रार्थी के विरूद्ध गबन बाबत् मुकदमा धारा 409 के तहत पुलिस थाने में दर्ज करवाया गया जिसका निर्णय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूरोड की अदालत में हुआ जिसमें अप्रार्थी को बरी किया है एवं गबन होना नहीं माना है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना आबूरोड में एफआईआर दर्ज करवाई गई जिसका निर्णय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूरोड द्वारा किया गया। उक्त निर्णय में भी अप्रार्थी को दोषमुक्त घोषित किया गया है एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत S,B. Criminal Misc. Petition No. 74/96, Date 08.04.1996 M/s. Sandeep Industries Vs. State of Rajasthan का भी अवलोकन किया गया। चूंकि अप्रार्थी का सक्षम न्यायालय द्वारा गेहूं का गबन नहीं माना है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:09:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner